



राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

ब्लॉक-4, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर-302015, राजस्थान

वेब साईट:- <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>

ई.मेल:- hrd.cce@gmail.com फोन नं. 0141-2706736(O)

क्रमांक:एफ1 (02)विद्या सम्बल/आकाशि/गे.फै./दिशा निर्देश/21-00638/पार्ट-1/ दिनांक:-

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान

विषय:- विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु गेस्ट
फैकल्टी को आमंत्रित किये जाने के संबंध में।

संदर्भ:- विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 21-06-2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आपके महाविद्यालय में संचालित ऐसे नियमित विषय जिनमें स्वीकृत पदों के विरुद्ध एक भी शिक्षक पदस्थापित नहीं है, पर, राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी अथवा स्थानान्तरण/कार्य व्यवस्था के तहत शिक्षक उपलब्ध होने तक दिनांक 21.06.2024 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत विषय में स्वीकृत पदों की संख्या के विरुद्ध एक-एक गेस्ट फैकल्टी को लगाकर अध्यापन कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

(प्रो. केशव शर्मा)
संयुक्त निदेशक (HRD)
कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
03. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
04. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
05. वेब साईट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि पत्र विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
06. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (HRD)
कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर

RajKaj Ref
8477046



Signature valid

Digitally signed by Keshav Sharma
Designation: Joint Director
Date: 2024.07.03 12:06:42 IST
Reason: Approved